संख्या-82/2018/1589/71-2-2018-पी-37/2016

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल, 2018

विषय:- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नियोनेटोलाजी विभाग हेतु विभिन्न पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीजीआई/ईआर/ए0सी0ए0डी0/6098/2017, दिनांक 18 नवम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के नियोनेटोलाजी विभाग हेतु शैक्षणिक संवर्ग के 03 पद तथा सीनियर रेजीडेण्ट के 08 पद अर्थात कुल 11 पदों को अस्थायी रूप से, दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नांकित विवरण के अनुसार सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

S.No	Name of Post	No of Post	Pay Band and Grade Pay after implemention of 6th CPC	New pay levels after implemention of 7th CPC
1	Assistant Professor	01	PB-3 Rs. 15600-39100 with minimum pay of Rs 30,000 Academic Grade pay Rs 8000 After Completion 3 years, will move to the Academic Grade pay of Rs 8700	Level 12 (Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017)
2	Associate Professor	01	PB-3 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs 42,800 Academic Grade pay Rs 9000	Level 13 A-1 (Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017)
3	Additional Professor	01	PB-3 Rs. 37400-67000 with minimum pay of Rs 46,000 Academic Grade pay Rs 9500	Level 13 A-2 (Annexure-1 of MoHRD's order dated 27-10-2017)
4	Senior Residents	08	PB-3 Rs. 15600-39100 Grade pay Rs 6600	Level-11 (Rs. 67700-208700)
	Total	11		

2- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक संस्थान का होगा। पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0309-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1163/दस-2018, दिनांक 26 अप्रैल, 2018 द्वारा में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-82/2018/1589(1)/71-2-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।